न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व प्रा.पत्र संख्या 22/2019

प्रार्थी
श्री मनाराम पुत्र बाबाजी जाति मेघवाल
उम्र 51 वर्ष पेशा खेती निवासी नून
तहसील सिरोही जिला सिरोही

बनाम अप्रार्थीगण
1– श्री प्रतापराम पुत्र बाबाजी
2– श्रीमती सन्तोकी बेवा बाबाजी
सभी आयु व्यस्क जाति
मेघवाल निवासी नून तहसील
जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री धनाराम देवासी

राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 के तहत
प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 13–1–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रा. पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधियिम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 3–5–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा ग्राम नून पटवार क्षैत्र फुंगणी तहसील सिरोही मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके पुराने खाता संख्या 232 एवं नये खाता संख्या 275 खसरा संख्या 495 रकबा 1.6800 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 स्थित है। उक्त वर्णित कृषि का अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा दिनांक 22–10–2018 को अपने हक हिस्से का अर्थात 1/3 हिस्सा का 2/7 हिस्सा अर्थात कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर मे से 2/21 हिस्सा कृषि भूमि के खातेदारी हक हकूकों प्रार्थी के हक मे बिना किसी प्रतिफल के अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अपनी स्वेच्छा से बक्षीस किया था, और उक्त बक्षीस की गई हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा (पजेशन) मौके पर फिजीकली एवं कानूनन रूप से प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था जो भी हक अधिकार अप्रार्थीगण संख्या 1 को हो, उक्त बक्षीस की गई हिस्से की कृषि भूमि पर हासिल थे, वे तमाम हक अधिकार प्रार्थी को बख्खीस विलेख के जरिये हस्तान्तरित करने से आयंदा बहैसियत खातेदार के स्वतंत्र रूप से हासिल रहेंगे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि जिसमे तीनों पक्षकारान के बीच स्वतंत्र रूप से बात होने के बाद एवं तीनों पक्षकारान ने जुबानी वादग्रस्त जमीन का बंटवाड बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कर प्रार्थी के हक हिस्से मे जो जमीन आई थी उस जमीन पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की सहमति से कुंआ खुदवाया जिसका कुल खर्चा 7,09,000/– हुआ था इसके अलावा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के लिये समय समय पर खर्च किया एवं उक्त भूमि का भोग दिया जिसका कुल खर्च रू 1,50,500 है। विवादित कृषि भूमि के सहखातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अपना 1/3 हक हिस्सा प्रार्थी के हक मे बक्षीस करवा दिया था एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से पर प्रार्थी को भौतिक रूप से काबिज कर कब्जा दे दिया था जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी का वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। दिनांक 27–2–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य 3–4 अपरिचित व्यक्तियों के साथ विवादित कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

प्रविष्ठ होकर उनके द्वारा बक्षीस किये गये 1/3 हक हिस्से की कृषि का जबरन कब्जा करने का प्रयत्न करने पर प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर प्रार्थी को प्रथम बार उसी दिन यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण संख्या 1 की नीयत मे खोट आ गई है जो प्रार्थी को उसके हक हिस्से की कृषि भूमि एवं कुऐं मे दखलंदाजी कर रहा है। अंट शंट बोल रहा है! गली गलोच कर रहा हे। जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 को उनकी हरकतो से रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती हे तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों मे आंका जाना सम्भव नही है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र बाद सुनवाई पक्षकारान के स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे कि अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके मे कोई रद्दोबदल नही करें । अप्रार्थीगण स्वंय अथवा अपने प्रतिनिधि एजेण्ट या नौकरों के मार्फत भी नही करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 275 खसरा नंबर 495 रकबा 1.6800 हैक्टेयर, नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी संवत 2071 से 2074 की प्रतियो का अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 3–5–19 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–5–2019 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–8–2019 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 व 2 का कथन सही होने से स्वीकार किया तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 के सम्बन्ध मे कथन किया कि वर्णित कृषि भूमि मय कुंआ मे राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी का 1/3, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा था। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के बीच माह अक्टुबर 2018 मे वादग्रस्त कृषि भूमि मय कुंआ व अन्य कृषि भूमि मय कुंआ का आपसी पारिवारिक बंटवाडा किया गया जिसमे यह तय हुआ था कि वर्णित कुल कृषि भूमि में से साढे चार बीघा भूमि प्रार्थी के हिस्से में व शेष कृषि भूमि 6 बीघा मय कुंआ व कमरा अप्रार्थी संख्या 01 प्रतापराम के हिस्से मे रखी जायेगी और वादग्रस्त कृषि भूमि मे स्थित कुऐं मे से अपना हक हिस्सा प्रार्थी द्वारा छोडने के ऐवज मे प्रार्थी को अन्य कृषि भूमि खसरा नंबर 1123, 1124, 1125, 1150, 1151, 1152, व 1323 मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का सम्पूर्ण 2/21 खातेदारी हक हिस्सा प्रार्थी को दिया जायेगा जिससे प्रार्थी के कुल 11 बीधा 10 विस्वा कृषि भूमि हो जायेगी तथा अप्रार्थी संख्या 1 के वादग्रस्त कृषि भूमि मे 6 बीघा जमीन मय कुंआ व कमरा रह जायेगा और इसी अनुसार आपसी पारिवारिक बंटवाड की पालना मे दिनांक 22–10–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का एक बक्षीस विलेख प्रार्थी के नाम निष्पादित व पंजीयन कराकर अप्रार्थी संख्या 1/3 खातेदारी हक हिस्से मे से 2/7 हक हिस्सा यानि कुल कृषि भूमि मेसे 2/21 हक हिस्सा प्रार्थी को बिना प्रतिफल के बक्षीस किया गया है तथा तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मे से अपना 1/3 खातेदारी हक हिस्सा जरिये रजिर्स्टड रिलीज डीड (हक तर्कनामा) अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दिनांक 22–10–2018 को निष्पादित कर पंजीयन करवाया हे तथा उसी रोज दिनांक 22–10–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 1123, 1124, 1125, 1150, 1151, 1152, व 1323 मे दर्ज अपने अपने 1/21, 1/21 खातेदारी हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष मे रिलिज कर हक तर्कनामा प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित कर उप पंजीयक कालन्द्री मे पंजीयन करवाया है। इस प्रकार आपसी पारिवारीक बंटवाड मे तय अनुसार प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि मे साढे चार बीघा कृषि भूमि सहित अन्य कृषि भूमि को मिलाकर कुल साढे ग्यारह बीघा जमीन प्रार्थी के हिस्से मे रखी हे तथा वादगस्त कृषि भूमि मे 06 बीघा कृषि भूमि मय कुंआ व कमरा अप्रार्थी संख्या संख्या 1 के हिस्से मे रखी गई है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि मे स्थित कुंआ व कमरा अप्रार्थी संख्या 1 के एकमात्र कब्जे व स्वामित्व का है जिसमे प्रार्थी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नही है। इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का कथन गलत होने से

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

अस्वीकार कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का जुबानी बंटवाड होना व प्रार्थी के हिस्से मे आई जमीन पर प्रार्थी द्वारा स्वंय के खर्चे से कुंआ खुदवाना पूर्णतया गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। इस पद मे वर्णित राशि का प्रार्थी द्वारा खर्च करना गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि मे कुंआ प्रार्थी ने अपने स्वंय के खर्च से नही खुदवाया है बल्कि राज्य सरकार द्वारा जारी योजना मे वर्ष 2008–2009 मे रूपये 325000/ राज्य सरकार द्वारा वहन कर खुदवाया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा सिंचाई हेतु 48000 खर्च कर पक्की नाली का निर्माण करवाया गया था। प्रार्थी परिवार मे बडा भाई होने से उसके नाम उक्त कुएं पर विधुत सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सहमति से लिया गया था परन्तु उक्त कुंआ व विधुत सम्बन्ध प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व का था । कुंआ खोदने के बाद कुऐं मे बोरिंग करवाने, कुऐं को गहरा करवाने, व कुऐं मे सुधार करवाने, कमरा बनवाने आदि मे हुआ व्यय प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने संयुक्त रूप से वहन किया है। तथा अक्टुबर 2018 मे आपसी बंटवाड मे वादग्रस्त कृषि भूमि मे स्थित कुंआ व कमरा अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से मे आने से उसकी पालना मे कुऐं पर लिया गया विधुत सम्बन्ध जो प्रार्थी मनाराम के नाम लिया हुआ था जिसे विधुत विभाग मे प्रार्थी के निवेदन व सहमति देने पर विधुत सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 1 प्रतापराम के नाम अन्तरित किया गया है। नाम ट्रान्सफर के बाद लगातार विधुत बिल अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी हो रहे है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 के कथनो का जवाब है कि वर्तमान मे वादग्रस्त कृषि भूमि मय कुऐं मे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/3 खातेदारी हक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जरिये रजिस्र्टड रिलिज डीड (हक त्याग) करने से अप्रार्थी संख्या 2 का कोई खातेदारी हक हिस्सा नही है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है एवं न ही प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण पैदा हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपसी पारिवारिक बंटवाड अनुसार अपने अपने खातेदारी हक हिस्से पर मोके पर अलग अलग काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के काश्त मे कभी दखलंदाजी नही की है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नही है और न ही विधि मे सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अस्वीकार फरमाया जाकर मय हर्जे खर्चे खारिज करना फरमावें। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के साथ हकतर्कनामा दिनांक 22.10.2018 की प्रति प्रस्तुत की है एवं कृषि कनेक्शन का विद्युत बिल प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अन्तर्गत धारा 212 के क्रम में निम्नानुसार बिन्दुवार विवेचन किया गया।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> संलग्न प्रार्थना पत्र दस्तावेज एवं अप्रार्थीगण के जवाब मय दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम नून का खसरा नंबर 495 रकबा 1.68 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें दिनांक 22.10.2018 को अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में रिलीज डीड का नामान्तकरण प्रकियाधीन होना जाहिर है। अतएव प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों उक्त आराजी के सहखातेदार है अतः रिकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला केवल मात्र प्रार्थी के पक्ष में हो ऐसा रिकार्ड पर कोई दस्तावेज प्रकट नहीं है।
2. <u>सुविधा का संतुलनः–</u> अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मय दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त आराजी खसरा नंबर 495 में अप्रार्थीगण संख्या 2 के द्वारा हकतर्क किया जाना रिकार्ड पर स्पष्ट है। साथ ही प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के मध्य पारिवारिक सेटलमेंट से एक अन्य खाते में दोनों अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हक तर्क किया जाना जाहिर है। इस प्रकार पारिवारिक समझौते के बाद दोनों हकतर्कनामें दिनांक 22.10.2018 को निष्पादित होना रिकार्ड पर होने के पश्चात भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थी के पक्ष में नहीं होना स्पष्ट है। अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा अपने नाम का माह मार्च व मई 2019 का अपने नाम का विद्युत बिल भी प्रस्तुत किया है। चूकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर 495 में पूर्व से अपने खातेदारी अधिकारों के

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

साथ हकत्याग से प्राप्त हिस्से का भी खातेदार है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन केवल मात्र प्रार्थी के पक्ष में नहीं कहा जा सकता है।

3. अपूरणीय क्षतिः–राजस्व रिकार्ड अनुसार दोनों सहखातेदार होने से अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होने से किसी पक्ष को अपूरणीय क्षति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। यदि सह खातेदारों के मध्य मौके पर हक हिस्से को लेकर कोई विवाद है तो बाबत बंटवाड के वाद का निस्तारण होने पर स्वतः ही मौके पर अपने अपने हिस्से का निर्धारण होना संभव है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी स्पष्ट नही किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा चाहे जाने का कारण क्या है। केवल मात्र आराजी में घुसने का हवाला देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है जो दोनों सहखातेदारो प्रार्थी व अप्रार्थी का लीगल अधिकार है किसी सह खातेदार को खातेदारी आराजी में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति का कोई मामला प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का तथ्यों से परे होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.13 19:48:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: